कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना (म0प्र0)

Ph. No. 07732-250980. Email ID : dcourtpan-mp@nic.in

क्रमांक 1-33 /कोरोना वायरस(बण्डल)/2020 पन्ना, दिनांक **20.04.2020**

:: विविध आदेश ::

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नं.5/2020 द्वारा आगामी आदेश तक न्यायालीन कार्यवाहीयों को वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से किये जाने बावत् दिये गये निर्देश उक्त निर्देशों के पालन हेतु माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा जारी ज्ञापन क 405/गोप./2020 जबलपुर, दिनांक 07.04.2020 **एवं** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रकरणों की सुनवाई की प्रक्रिया (डायरेक्ट सुनवाई की प्रक्रिया सहित) के संबंध में पूर्व में मान्नीय उच्च न्यायालय से समय–समय पर प्राप्त ज्ञापनों/परिपत्रों के पालन में समय–समय पर कार्यालय द्वारा भी परिपत्रों/ज्ञापनों/विविध आदेश जारी किये गये है तथा कार्यालय के विविध आदेश क्. 317 दिनांक 13.04.2020 के द्वारा इस बावत् विस्तृत गाइड लाइन भी जारी की गई है। मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन दिनांक 15.04.20 के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा जारी किये गये पूर्व निर्देश एवं विविध आदेश क्. 317 दिनांक 13.04.2020 की निरन्तरता में निम्नानुसार अतिरिक्त निर्देश जारी किये जाते हैं :–

01. लॉकडाउन की अवधि में स्थापना में पदस्थ समस्त न्यायाधीशगण, अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई केवल वीडयो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही करेंगे।

02. यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई नहीं की जाती है अथवा की जाना संभव नहीं है एवं डायरेक्ट सुनवाई की जाती है, तो संबंधित अधिकारी अपनी आदेश पत्रिका में उन परिस्थितियों/कारणों का उल्लेख करेंगे कि किन कारणों से प्रकरण में सुनवाई डायरेक्ट की गई।

03. अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण केवल अर्जेण्ट मामलों में आवेदन/याचिका **e-filing** साफ्टवेयर के माध्यम से ही प्रस्तुत कर सकेगें। इस संबंध में वेवसाइट **https://efiling.ecourts.gov.in/mp/** पर जाकर दी गई प्रक्रिया के अनुसार सर्वप्रथम यूसर आई कियेट करने के बाद लिंक में दिये गये निर्देशों का अनुसरण करते हुए **e-filing** कर सकेगें। उपरोक्त दी गई लिंक वर्तमान में **पन्ना जिले** के लिए **Open** नहीं हो रही है जो यथाशीघ्र ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Open** किया जाना संभावित है तब उक्तानुसार **e-filing** की जा सकेगी।

04 यदि अधिवक्तागण या पक्षकार उपरोक्तानुसार **e-filing** कर पाने में समर्थ नहीं होते हैं तो अर्जेण्ट प्रकरणों की सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेज की कापी **scanned PDF format** में ई–मेल/व्हाट्सएप आदि के माध्यम से ही भेजा जाना सुनिश्चित करेगें। यदि किसी कारणों से आवेदन, केस डायरी या अन्य दस्तावेज डायरेक्ट प्राप्त करते हैं, तो संबंधित पीठासीन अधिकारी अपनी आदेश

Scanned by CamScanner

पत्रिका में उन परिरिस्थितियों/कारणों का उल्लेख करेंगे कि किन कारणों से प्रकरण में आवेदन, केस डायरी या संबंधित दस्तावेज डायरेक्ट प्राप्त किये गये।

05. जहां कही भी आवश्यक हो प्रत्येक आवेदन/याचिका शपथपत्र से समर्थित होगा एवं दस्तावेज की कापी के साथ ही **scanned PDF format** में संलग्न कर **e-mail/whatsapp** पर प्रेषित किया जावेगा।

06. प्रत्येक आवेदन/याचिका के साथ अधिवक्ता/पक्षकार का पूर्ण नाम मोबाईल नम्बर **e-mail/whatsapp** नम्बर विरोधी पक्षकार का **e-mail / whatsapp** नम्बर यदि उपलब्ध हो तो उसे लेख कराना होगा।

07. पुन. यह आदेशित किया जाता है यदि उपरोक्त अनुसार **e-filing e-mail/whatsapp** के द्वारा सुनवाई किया जाना संभव न हो और न्यायालय के समक्ष ही कार्यवाही आवश्यक हो तब रिमाण्ड/जमानत/सुपुर्दनामा संबंधित अथवा अन्य अत्यावश्यक प्रकृति के आवेदन **Filing Section** में प्रस्तुत करेगें। **Filing Section** से आवेदन याचिका संबधित पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी एवं ऐसी अति आवश्यक कार्यवाही, जमानत/शीघ्र सुनवाई आवेदनों पर तर्क आदि न्यायालय परिसर में स्थापित व्ही.सी. कक्ष में ही उपस्थित होकर ही किया जाना सुनिश्चित करेगें तथा व्ही.सी. कक्ष में भी पक्षकार /अधिवक्तागण/पुलिस या अन्य कोई संबंधित व्यक्ति पूर्व में प्रसारित **Social Distance** को **Maintain** करने बावत् निर्देशों का पालन करेगें।

08. संबंधित न्यायिक अधिकारी अर्जेण्ट प्रकरण की सुनवाई हेतु नियत प्रकरण में पारित आदेश तत्काल सी.आई.एस. में अपलोड करेंगे तथा परिणाम/आगामी तारीख नियत किये जाने की सूचना संबंधित अधिवक्ता/पक्षकार आदि को ई–मेल/व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित करेंगे।

09. रिमाण्ड/जमानत/सुपुर्दनामा संबंधित अत्यावश्यक प्रकृति के आपराधिक मामलों में पुलिस प्रतिवेदन एवं केस डायरी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करने के स्थान पर पुलिस अधीक्षक पन्ना को केस डायरी की **scanned copy PDF format** में जिला न्यायालय की ई–मेल आई0डी0 **dcourtpan-mp@nic.in** में मेल करने के उपरांत संबंधित सिस्टम ऑफीसर के मोबाईल नम्बर **9907630532,** पर सूचित करने पूर्व में निर्देशित किया गया है पुनः यह निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अधीनस्थ पदस्थ समस्त थाना प्रभारियों को आवश्यक रूप से आदेशित करे कि वह न्यायालय में पेश की जाने वाली प्रकरण की केस डायरी स्कैन कर प्रेषित किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची, दस्तावेजों पर कम संख्या अंकित करते हुये जिला न्यायालय की ई–मेल आई.डी. **dcourtpan-mp@nic.in** में मेल अथवा संबंधित पीठासीन अधिकारी के **e-mail/whatsapp** पर करने के उपरांत सूचित करें इस संबंध में सभी पीठासीन अधिकारियों की ईमेल आई डी एवं फोन नम्बर की सूची आवयक निर्देशों के साथ पूर्व में दी जा चुकी है जो पुनः संलग्न की जा रही है।

10. समस्त न्यायिक अधिकारीगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के माध्यम से अर्जेण्ट प्रकरणों की सुनवाई आदि के संबंध में मान्नीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा दिनांक 15.04.2020 को जारी **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं ई–फाईलिंग गाईडलाईन** का जिला स्थापना स्तर पर यथा संभव यथा प्रयोज्य

Scanned by CamScanner

अनुसार लागू करते हुये पालन सुनिश्चित करेंगे।

11. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय से सीधे जुडकर कार्यवाही किये जाने के संबंध में सभी अधिवक्तागण/पक्षकार अपने मोबाईल पर आवश्यक रूप से अपने मोबाईल पर **Vidyo App** डाउन लोड करना होगा जिससे संबधित प्रक्रिया भी संलग्न की जा रही है तत्पश्चात् इस आदेश के साथ संलग्न की जा रहे पृथक निर्देश में विहित प्रक्रिया का अनुकरण कर वे न्यायालय की कार्यवाही में भाग ले सकेगें।

12. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तकनीकी बिन्दुओं/समस्याओं के निराकरण/सुचारू संचालन के संबंध में पूर्व में सिस्टम ऑफीसर/असिस्टेंट, सिस्टम ऑफीसर एकल संपर्क बिन्दु के हेल्प लाईन नंबर पूर्व में अधिसूचित किये जा चुके हैं जिन्हें जिला न्यायालय की ई–मेल आई0डी0 **dcourtpan-mp@nic.in** में भी देखा जा सकता है।

13. समस्त अधिकारीगण/सिस्टम आफीसर/ प्रशासनिक अधिकारी उनकी ईमेल आई नियमति रूप से चेक करेगें।

संलग्न– 1. पीठासीन अधिकारीगण के ईमेल एवं फोन नम्बर की सूची
2. Vidyoapp डाउनलोड करने के निर्देश
3. न्यायालय से कनेक्ट होने प्रक्रिया बावत् निर्देश

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना (म0प्र0)

क्रमांक P-34/कोरोना वायरस(बण्डल)/2020 पन्ना, दिनांक 13.04.2020

प्रतिलिपि,

01 माननीय रजिस्टार जनरल महोदय
उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर को सूचनार्थ प्रेषित

02. समस्त न्यायाधीशगण पन्ना/पवई/अजयगढ़

03. कलेक्टर पन्ना

04. पुलिस अधीक्षक पन्ना

05. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना

06. जेल अधीक्षक जिला जेल पन्ना

07 अध्यक्ष, अभिभाषक संघ पन्ना/पवई/अजयगढ़

09. लोक अभियोजक/सहा.लोक.अभि./जिला अभियोजन अधिकारी /सहा.अभि.अधिकारी पन्ना/ पवई/अजयगढ़

10. प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि/मालखाना/सांख्यिकीय/तलवाना/ ग्रन्थालय/अभिलेखागार अनुभाग पन्ना समस्त अनुभाग

11. प्रस्तुतकार, न्यायालय–जिला न्यायाधीश पन्ना

12 सिस्टम आफिसर पन्ना/ पवई/ अजयगढ़

13. प्रशासनिक अधिकारी जिला न्यायालय पन्ना

Scanned by CamScanner

14. जिला जनसंम्पर्क अधिकारी पन्ना
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

20.5.2020

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना (म0प्र0)

Scanned by CamScanner